Insurance of Rail Passengers

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान, जो सौभाग्य से इस समय सदन में उपस्थित हैं, एक विशेष प्रकरण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि रेलवे मंत्रालय रेल यात्रियों के लिये बीमा की व्यवस्था कर रहा है।

मैं समझता हूं कि इस बीमा की व्यवस्था से रेल यात्रियों की स्थिति सुदृढ़ होगी। जिस तरह हवाई यात्रियों को किसी भी दुर्घटना के कारण मुआवजा मिलता है, ठीक उसी तरह अगर बीमा की व्यवस्था हुई, तो रेलवे यात्रियों को भी मुआवज़ा मिल सकेगा।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : मरने के बाद।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : इस अच्छे प्रस्ताव के लिये मैं माननीय रेल मंत्री जी को और रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद अदा करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : साथ-साथ रेलवे के कर्मचारियों को भी बीमा के अन्तर्गत लिया गया है, इसके लिये भी धन्यवाद दीजिये।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : मैं इसके लिये भी उनको धन्यवाद देता हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव मूलत: 1962 ई० में श्री मनोरंजन सरकार ने जो 44-बी, प्रतापादित्य रोड, कलकत्ता-26 के निवासी हैं, यह प्रस्ताव दिया था। इस सम्बन्ध में 1963 से लेकर 1993 तक उन्होंने अनेक पत्राचार किये। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, रेल मंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1963 में टी० टी० कृष्णामचारी ने और बाद में श्री एल० एन० मिश्र ने इस विषय को आगे बढ़ाया था। 1973

की 3 मई को रेलवे बोर्ड के डाइरेक्टर जनरल, ट्रैफिक (कमर्शियल) ने श्री मनोरंजन सरकार को पत्र लिख कर धन्यवाद दिया था कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर रेलवे मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट किया है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जब वे तीस साल बाद इस प्रस्ताव को अमली जामा पहना रहे हैं, तो गुणज्ञता और गुण ग्राहकता का परिचय देते हुए श्री मनोरंजन सरकार को भी सम्मान दें, उनको इसके लिये कृतज्ञता का, धन्यवाद का एक पत्र दें, तो वे एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे, जिससे हमारे देश के नागरिक और भी अच्छे रचनात्मक प्रस्ताव सरकार को भेज सकेंगे। धन्यवाद।

Need of Government assistance to movement for prohibition of intoxicating drinks in Haryana and other places

श्री चतुरानन मिश्र : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये हरियाणा में चल रहे नशाबन्दी आन्दोलन की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछली बार मैं हरियाणा गया था, वहां काफी लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि वहां नशाखोरी के चलते अत्यन्त ही भयावह स्थिति हो गई है। परिवार टूट रहा है और बाल बच्चों की उपेक्षा हो रही है और हिंसा और अपराध कर्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

उसी के बाद वहां की महिलाओं ने इस आन्दोलन को अपने हाथ में लिया है और लगभग 326 पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास दिया है कि हमारे यहां जो शराब की भट्टियां हैं, वह बन्द की जायें।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में यह पहले से ही कानून भी है कि अगर पंचायत चाहे, तो ऐसा पास करके